निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 13 / 2023
दायरा दिनांकः—03.07.2023
निर्णय दिनांकः— 16-7-24

उनवान

प्रेमनारायण पुत्र रामलाल आयु 52 वर्ष जाति चमार निवासी ग्राम रींझा हल्का खोपर तहसील छबडा हाल निवासी उक्कलदा, उकाल्दा कोटा (राज0)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर एक्ट
निर्णय दिनांकः— 16-7-24
अभिभाषक उपस्थितः—1. श्री दौलतराम मीणा — प्रार्थी

अभिभाषक वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा,136 आर.टी.ए विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय मे इस अशय का पेश किया गया कि वाके माल रीझडी तहसील छबडा खाता संख्या 12 खसरा नम्बर 9 / 1, 61 / 1, 62 / 1, 75 / 1, 76, 77 / 1, 83 / 1, 85, 86 कुल किता 09 रकबा 17.02 है0 पैत्रिक कृषि आराजीयात स्थित है। जिसमें प्रार्थी का बचपन का नाम प्रेमबिहारी अंकित है तथा अन्य सरकारी दस्तावेजात में प्रेमनारायण अंकित है। जिसके कारण प्रार्थी को सरकारी योजनाओं का लाभ मुआवजा बीमा आदि नही मिल पाता है। प्रार्थी राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रेमबिहारी के स्थान पर प्रेमनारायण करवाना चाहता है। यदि न्यायालय उर्फ लगाकर दोना नाम रखना चाहिए तब भी प्रार्थी को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल जाऐगा। प्रार्थी अपना नाम शुद्ध करवाने का वैधनिक अधिकारी है। शामलाती खातेदार प्रार्थी के भाई—बहिन है परिवारजन है न्यायालय यदि आदेश करने में परिवार जनों का शपथ पत्र मांगता या आवश्यक समझता है तो प्रार्थी शपथ पत्र पेश कर देगा।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम रीझडी सम्वत् 2075—78 खाता संख्या 12 फोटो प्रति पहचान पत्र, प्रेमनारायण आधार कार्ड प्रेमनारायण बैक पास बुक प्रेमनारायण परिवार राशन कार्ड जन आधार कार्ड सरपंच ग्राम पंचायत खोपर का प्रमाण पत्र पेश किया गया। तहसीलदार से रिपोर्ट ली गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.08.08 17:26:56 IST
Reason: SelfAttested

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम रीझडी तहसील छबडा में स्थित है। जिसमें प्रार्थी का बचपन का नाम प्रेमबिहारी अंकित है अन्य दस्तावेजों में प्रार्थी का

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

नाम प्रेमनारायण अंकित है प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रेमबिहारी गलत नाम अंकित होने से प्रार्थी को राज्य सरकार से मिलने वाली सभी लाभों से वंचित होना पड रहा है प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अन्य दस्तावेजों में अंकित प्रेमनारायण ही दर्ज करवाना चाहता है राजस्व रिकार्ड में प्रेमबिहारी के स्थान पर प्रेमनारायण दर्ज किया जावे।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गयी पत्रावली नकल जमाबन्दी ग्राम रीझडी सम्वत 2075–78 खाता संख्या 12 के अनुसार प्रेमबिहारी दर्ज है तथा प्रार्थी के अन्य दस्तावेज पहचान पत्र, आधार कार्ड, बैंक पास बुक, परिवार राशन कार्ड, जन आधार कार्ड, एवं सरपंच ग्राम पंचायत खोपर द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुसार प्रेमनारायण दर्ज है इससे यह साबित होता है कि प्रार्थी का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रेमबिहारी गलत है इस संबंध में तहसीलदार छबडा से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार छबडा ने रिपोर्ट में बताया कि ग्राम वासियों से जानकारी पर व अन्य दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम प्रेमनारायण है प्रेमबिहारी व प्रेमनारायण नाम का अन्य कोई व्यक्ति गांव मे नही रहता प्रेमबिहारी पुत्र रामलाल के स्थान पर प्रेमबिहारी उर्फ प्रेमनारायण पुत्र रामलाल दर्ज करने की अनुशंषा तहसीलदार छबडा द्वारा की है तहसीलदार छबडा रिपोर्ट एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: **क्रियात्मक आदेश** ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम रीझडी तहसील छबडा के खाता संख्या 12 के कुल खसरा नम्बर 9 किता रकबा 17.02 बीघा में दर्ज प्रेमबिहारी के स्थान प्रेमनारामण पुत्र रामलाल दर्ज करने के आदेश तहसीलदार छबडा को दिये जाते है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
छबडा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.08.08 17:26:56 IST
Reason: SelfAttested